न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2019-00322Ju2019-132 Khetaram Vs Siru etc

खेताराम पुत्र मोडाराम जाति भील, निवासी ग्राम खींचन तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. सिरू पत्नी पूनाराम,
02. कानाराम पुत्र पूनाराम,
03. मूली पुत्री पूनाराम,
04. दली पुत्री चैनाराम
05. मूनी पुत्री चैनाराम
06. समदा पत्नी चैनाराम
    सभी जातियान भील, निवासीगण खींचन तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
07. ओबीसी बैंक शाखा खींचन जरिये शाखा प्रबन्धक,
08. तहसीलदार, फलोदी।
09. लखूराम पुत्र सोनाराम जाति भील, निवासी खारा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
10. राजुराम पुत्र किरताराम, जाति भील. निवासी 3 के वाई डी तहसील खाजुवाला, बीकानेर।
11. भगोलाराम पुत्र बिरियान जाति भील निवासी भील बस्ती अम्बेडकर नगर काली बेरी, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 30 जुलाई 2019 राजस्व वाद संख्या 21/2018 खेताराम व अन्य बनाम सिरू इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या 09 से 11
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2018 खेताराम व अन्य बनाम सिरू इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 25 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 348 रकबा 60 बीघा ग्राम खींचन के संबंध में एक वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इसाफिक व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम होनी है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी के वाद को सम्पूर्ण कोर्ट फीस नही भरने तथा दावे को दो प्रतियों में पेश नहीं करने के आधार पर खारिज कर दिया। वादी/अपीलाण्ट ने कोर्ट से निवेदन किया कि उक्त दावे में कोर्ट फीस पेश की थी तथा उसी अनुसार उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। यदि दावा दो प्रतियों में पेश नहीं किया गया जो सद्भाविक भूल है तथा उक्त दावा राजस्व केम्प कोर्ट में पेश किया गया है। इस कारण सद्भाविक भूल रह गई होगी। इस कारण यदि न्यायालय अवसर प्रदान करे तथा आदेश फरमावे तो उक्त कमी पूर्तिपूर्ण करने के लिए अपीलाण्ट तैयार व तत्पर है, फिर भी उक्त बिन्दू पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादी का वाद खारिज कर दिया। वादी/अपीलांट का दावा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का है। उक्त दावा में विवाद्यक तथ्य बनाकर साक्ष्य लेकर पटवारी की मौका रिपोर्ट मंगवाकर मैरिट पर निर्णित किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय को उक्त सद्भाविक भूल पर वाद निर्णित नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट फीस व दो प्रतियों में दावा पेश नहीं करने का उल्लेख करके प्रार्थी का दावा खारिज दिया, की जानकारी अपीलांट को दिनांक 17.10.2019 को होने पर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सलाह लेकर निर्णय की नकले प्राप्त कर पुनः अधिवक्ता से मिला, तब अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की माननीय न्यायालय में अपील पेश की जाए। तब अपीलांट ने प्रथम ज्ञान से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यु बोर्ड ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिन्दु पर खारिज नही करके मैरिट पर निर्णित किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुति के वक्त संपूर्ण कोर्ट फीस अदा नहीं की तथा न ही वाद को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादी का वाद विधिबाधित पाये जाने से विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगस्त अपील विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर मामले के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के वाद को अपूर्ण कोर्ट फीस एवं वाद दो प्रतियों में प्रस्तुत करने की सद्भाविक भूल/तकनीकी त्रुटियों के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से निवेदन किया गया था कि वाद केम्प कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने से उक्त सद्भाविक भूल रह गई। वादी द्वारा उक्त त्रुटि सुधार किये जाने का भी विचारण न्यायालय के समक्ष निवेदन किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सद्भाविक/मानवीय भूल पर नरम रूख न अपनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी के वाद विधिक सिद्धांतों एवं न्याय की मंशा के विपरीत जाकर खारिज किया पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वादी/अपीलांट की ओर से विभाजन का है तथा वादग्रस्त आराजी का विभाजन होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2018 खेताराम व अन्य बनाम सिरू इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2019 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में वादी से तकनीकी कमियों को पूर्ण करवाते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का गुणावुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर